

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी बायतु ..... मुकाम.....  
जिला-बाड़मेर

.....बनाम.....  
प्रकाश चन्द ..... वापराग 03/06/2022  
किस्म मुकदमा..... नं. 257/2022 सन्. 2022  
राज मा 939

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03/06/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रविद्वाराय निशान</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 ..... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>09/06/22</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिष्ठत/ विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल कुछा जफ्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गणा/ विप्रार्थी/वादी का वजुद तामिल मनु उपरिष्ठत/ न्यायालय समय तीन बजे प्रायोज लगाई गई, मॉलिंग प्रकाश 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/वादी स्कं मा उनकी मोर ले डोई प्रविषक्त उपरिष्ठत नही हुका लिवाजा विप्रार्थी/वादी के बिलड एडवोकेट प्रार्थवादी समल में लाई जाली हु प्रतः वास्ते खटत पत्रावली दिनांक-24/06/2022 को पेश हु</p>	<p>09/06/2022</p> <p>सहायक क्लर्क (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

रहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपख  
क्र. वाद / 2022 / 1080  
प्रार्थी

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगी  
जाति मील निवासी  
पटवार

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1080

दिनांक : 24/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल,  
जाति भील निवासी शिवपुर,  
पटवार मण्डल गाजूणा,  
तहसील करेडा (भीलवाडा)


1. रावताराम पुत्र हरजीराम वगैरा 05,  
जातियान् भील, निवासी डोली नाडी,  
पटवार मण्डल लापुन्दडा,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 257 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - डोली नाडी, पटवार मण्डल - लापुन्दडा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 140, 141 रकबा क्रमशः 1.3436, 0.0486 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करे तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिपत्र किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1081 - 85  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का लापुन्दडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल,
4. विप्रार्थी श्री रावताराम पुत्र हरजीराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया) बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक : 24/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाडमेर